सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र साधारण	RAJASTHAN GAZETTE Ordinary
साधिकार प्रकाशित	**Published by Authority**

जिल्द 77 भाद्र 20, गुरुवार, शाके 1947–सितम्बर 11, 2025 अंक 24
Vol. 77 Bhadra 20, Thursday, Saka 1947–September 11, 2025 No. 24

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायों के लिए टेण्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुए सार्वजनिक और निजी विज्ञापन आदि।

नाम/उपनाम/सरनेम/परिवर्तन करने का बन्ध–पत्र

[नियम 8 राजस्थान सेवा नियम, वित्त विभाग के आदेश सं. एफ. 1/12./एफ.डी.ई.आर.187, दिनांक 10.04.57 की अनुपालना में]

इस बन्ध–पत्र द्वारा मैं, निम्न हस्ताक्षरकर्ता डॉ. राम साँचोरिया (नया नाम) जो अभी इससे पूर्व डॉ. रामलाल बलाई (पुराना नाम) कहलाता था एवं जो वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी के रूप में निदेशालय पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर पर नियुक्त था, एतद्वारा:–

1. स्वयं तथा मेरी पत्नी एवं बच्चे तथा दूर के बच्चे जो पूर्णतया आश्रित हों मेरे पूर्व नाम डॉ. रामलाल उपनाम बलाई (सिर्फ) को त्यागता हूँ तथा उसके स्थान पर उसी तारीख से नाम डॉ. राम तथा उपनाम साँचोरिया ग्रहण करता हूँ एवं इसलिए मैं, मेरी पत्नी, बच्चे, दूर के बच्चे एतद्वारा मेरे पूर्व उपनाम बलाई (केवल) से न जाने जाएं तथा पहचाने जाए बल्कि मेरे द्वारा ग्रहण किये गये उपनाम साँचोरिया द्वारा जाने जाएं।
2. उक्त मेरे निश्चय की साक्ष्य के प्रयोजन के लिए घोषणा करता हूँ कि मैं एतद्पश्चात सभी समय, निजी या सार्वजनिक सभी अभिलेखों, बंध–पत्रों, प्रलेखों एवं समस्त कार्यवाहियों, व्यवहारों एवं लेन–देनों में तथा सभी अवसरों पर अपने पूर्व नाम डॉ. रामलाल तथा उपनाम बलाई (सिर्फ) के स्थान पर एवं उसके परिवर्तन में डॉ. राम नाम के रूप में तथा साँचोरिया उपनाम के रूप में प्रयुक्त करूंगा एवं हस्ताक्षर करूंगा।
3. स्पष्टतः एतद्पश्चात् तथा सभी समय सभी व्यक्तियों को मुझे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, दूर के बच्चों को तदनुसार नये रखे नाम डॉ. राम उपनाम साँचोरिया के नाम से सम्बोधित करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ तथा उसके लिए निवेदन करता हूँ।

इसके साक्षी में, मैंने अपने पूर्व नाम एवं नये नाम डॉ. रामलाल बलाई तथा डॉ. राम साँचोरिया का वर्णन किया है तथा दिनांक 03.07.2025 को हस्ताक्षर किये हैं।

हस्ताक्षरित निम्नलिखित की उपस्थिति में उपर्युक्त नाम डॉ. राम साँचोरिया द्वारा जो पूर्व में डॉ रामलाल बलाई कहलाता था, हस्ताक्षर किये हैं।

साक्षी:–

1 डॉ. सुभाष चंद्र बारी,
उप निदेशक,
निदेशालय पशुपालन, जयपुर

2 श्री मोहित खंडेलवाल
पशुधन निरीक्षक,
निदेशालय पशुपालन, जयपुर

हस्ताक्षर
नया नामः डॉ. राम साँचोरिया
पुराना नामः डॉ. रामलाल बलाई

प्रतिहस्ताक्षर
डॉ. आनन्द सेजरा
निदेशक
पशुपालन विभाग, राजस्थान।

13169

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।